



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसंबर 12, 2018/अग्रहायण 21, 1940

No. 392]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2018/AGRAHAYANA 21, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

(मध्यावधि समीक्षा जाँच)

विषय – आस्ट्रेलिया और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो एश मेटलर्जिकल कोक" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच (एमटीआर) की शुरुआत ।

1. **संख्या 7/37/2018-डीजीएडी.**—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना सं. 14/9/2015-डीजीएडी के द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए और आस्ट्रेलिया तथा चीन जन. गण. (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो एश मेटलर्जिकल कोक" (जिसे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 53/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

क. मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करने के लिए अनुरोध

2. मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करने के लिए अनुरोध निम्नलिखित सेट के आवेदकों द्वारा दायर किया गया है :

क) मै. मुकंद लि., मै. कल्याणी स्टील्स लि., मै. किलॉस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लि. और मै. रश्मि मैटलिक्स लि.

ख) मै. इंडियन फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन

ग) मै. उडिसा मैटलिक्स प्रा. लि. और मै. निओ मैटलिक्स लि.

3. ऊपर उल्लिखित सभी पक्ष संबद्ध वस्तु के आयातक और प्रयोक्ता हैं (जिन्हें समग्र रूप से आवेदक कहा गया है)। आवेदकों ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध करने वाला एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गया है जिससे ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है।

ख. समीक्षा के लिए आधार

4. आवेदकों ने समीक्षा के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए हैं :

क) मूल पाटनरोधी जांच में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादकों में से एक, दिवालिया कार्यवाही में है और आंतरिक मुद्दों के कारण घाटा उठा रहा है और मूल पाटनरोधी जांच में समर्थकों में से एक को समापन करने का आदेश दिया गया है।

ख) कि अन्य घरेलू व्यापारी उत्पादक आर्थिक मानकों के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

ग) कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात के पहुंच मूल्य में वर्ष दर वर्ष तेजी से वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग को इतनी उच्च कीमत पर आयात होने पर क्षति नहीं हो सकती है।

घ) कि आवेदकों द्वारा गणना की गई एनआईपी के आधार पर, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के लिए क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।

ङ) घरेलू उत्पादक भारत में मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। संबद्ध वस्तुओं के कुछ प्रमुख व्यापारी घरेलू उत्पादकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और संबद्ध वस्तु के कैप्टिव उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु की आपूर्ति में कमी के कारण संबद्ध वस्तु की आपूर्ति में कमी आई है। इसने संबद्ध वस्तुओं के लिए भारी मांग-आपूर्ति अंतर बना दिया है।

च) भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं को आपूर्ति करने की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

छ) कि भारत में संबद्ध वस्तु बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोकिंग कोल भारत के बाहर से आयात किया जाता है। कोकिंग कोयले के पहुंच मूल्य और मेट कोक के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर समय के साथ बढ़ गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस कीमत पर भारत में संबद्ध वस्तुएं आ रही हैं, उन्हें भारत में घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हो सकती है।

ज) कि घरेलू उद्योग अब क्षति का सामना नहीं कर रहा है और परिणामस्वरूप, शुल्कों के मौजूदा स्तर की समीक्षा करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

झ) पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद आस्ट्रेलिया और चीन जन. गण. से लो एश मैटलर्जिकल कोक (मेट कोक) है। विचाराधीन उत्पाद में उच्च एश मात्रा जो 18 प्रतिशत से अधिक हो का मैटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है। मेट कोक का उत्पादन उच्च तापमान (1100 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच) पर आक्सीजन की अनुपस्थिति/विनियमित उपस्थिति में कोकिंग कोल के डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा किया जाता है जिससे कोयला मुलायम, तरल और उसके बाद छिद्रित

टुकड़ों में पुन-ठोस हो जाता है। मैट कोक कुछ खनिज और अवशिष्ट सामग्री के साथ कार्बन का एक रूप है। मैट कोक का प्रयोग ऐसे उद्योगों में प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है जहां भट्टों और भट्टियों में एक समान और उच्च तापमान की जरूरत होती है। मैट कोक का प्रयोग ढलवा लोहा, फाउंड्रीज, लौह अलाय, रसायन, समेकित इस्पात संयंत्रों और अन्य सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है।

6. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क शीर्ष 27040030 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि संबद्ध वस्तु का आयात अन्य सीमाशुल्क शीर्षों अर्थात् 27040090, 27040010, 27040020 आदि में भी किया जा सकता है। उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

7. चूंकि प्रस्तावित जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जोकि मूल जांच में है।

घ. शामिल देश

8. वर्तमान जाँच में शामिल देश आस्ट्रेलिया और चीन जन. गण. हैं।

ङ. जाँच की शुरुआत

9. 1 मार्च, 2011 को सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011 द्वारा यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 का उप नियम (1) और (1क) जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार पठित है:

'(1) अधिनियम की धारा 9क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन की प्रतिपूर्ति करने की समयावधि तक और उसकी आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो, वहां स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है के अनुरोध पर और जब निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने से एक तर्कसंगत अवधि बीत गई हो, किसी पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से तब उसे हटाने की सिफारिश करेंगे जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें अंतर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए इसकी अब आवश्यकता नहीं है।

10. पूर्वोक्त नियमों के अनुसार, प्राधिकारी के लिए समय-समय पर किसी पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करना अपेक्षित है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होते हैं कि ऐसे शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से उसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।

11. प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना उचित मानते हैं।

च. प्रक्रिया

12. आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना जो लागू उपाय की समीक्षा को आवश्यक बनाने के लिए परिवर्तित परिस्थितियां दर्शाती है, को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशित दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना सं. 14/9/2015-डीजीएडी के द्वारा अधिसूचित अंतिम जाँच परिणाम और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 53/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाये गये निश्चयात्मक शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना उचित है और प्राधिकारी एतद्वारा संबंधित नियमावली के नियम 23 के साथ सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क) के उपबंधों के अनुसार जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा की जा सके। इस समीक्षा में दिनांक दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना सं. 14/9/2015-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।

छ. जांच अवधि

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2018 तक की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2014 - मार्च 2015, अप्रैल 2015 - मार्च 2016, अप्रैल 2016 - मार्च 2017 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना नीचे दी गई तारीख के भीतर प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

**व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001**

16. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

झ. समय-सीमा

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी संबंधित नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना हार्ड कॉपियों और साफ्ट कॉपियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा-:

- (i). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
(ii). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

20. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पांच-पांच (5-5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

21. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
25. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 12th December, 2018
(Mid Term Review Investigation)

Subject : Initiation of Mid-term Review (MTR) investigation with regard to the anti-dumping duties in force on the imports of “Low Ash Metallurgical Coke” originating in or exported from Australia and China PR.

1. **No. 7/37/2018-DGAD.**—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), notified its final findings

vide Notification No. 14/9/2015-DGAD dated 20th October 2016 and recommended imposition of definitive anti-dumping duty ("ADD") on import of "Low Ash Metallurgical Coke" (hereinafter referred to as "subject goods" or "the product under consideration") originating in or exported from Australia and China PR (hereinafter referred to as subject countries) and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 53/2016- Customs (ADD) dated 25th November 2016.

A. Request for initiation of Mid Term Review

2. Request for initiation of Mid Term Review has been filed by following sets of applicants:
 - a) M/s. Mukand Ltd, M/s. Kalyani Steels Limited, M/s. Kirloskar Ferrous Industries Limited and M/s. Rashmi Metaliks Limited.
 - b) M/s. Indian Ferro Alloys Producers Association.
 - c) M/s. Orrisa Metaliks Private Limited and M/s. Neo Metaliks Limited.
3. All above mentioned parties are importers and users of subject goods (collectively referred to as "the applicants"). Applicants have submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing antidumping duties are no longer warranted.

B. Grounds for review

4. The present review application has been submitted on the following ground:
 - a) One of the major producers of subject goods in the original anti-dumping investigation, is in insolvency proceeding and incurring losses due to internal issues and one of the supporters in the original anti-dumping investigation, has been ordered to liquidate.
 - b) That other domestic merchant producers are performing well in terms of economic parameters.
 - c) That the landed value of imports of subject goods in India has witnessed a sharp increase year by year and the domestic industry cannot suffer injury when imports are coming at such high price.
 - d) That based on NIP calculated by the Applicants, the injury margin is negative for imports of subject goods from subject countries.
 - e) Domestic Producers are incapable to meet the demand in India. The supply of subject goods has in fact decreased due to the issues faced by some of the major merchant domestic producers of subject goods and decrease in supply of subject goods by captive producers of subject goods. This has created a huge demand-supply gap for subject goods.
 - f) There is a huge increase in prices at which subject goods are being supplied by domestic producers in India.
 - g) That the coking coal used for making subject goods in India is imported from outside India. The gap between landed value of coking coal and landed value of met coke has increased over time. This implies that the prices at which subject goods are coming into India cannot be said to be causing any injury to the Domestic producers in India.
 - h) That the domestic industry is not suffering injury any longer and as a consequence, a need for reviewing the current level of duties has arisen.
 - i) There is no likelihood of recurrence of dumping and injury

C. Product under consideration and Like Article

5. The product under consideration (PUC) for the purpose of present investigation is "Low Ash Metallurgical Coke" from Australia and China PR. The product under consideration does not include Metallurgical Coke with high ash content which is in excess of 18%. Met Coke is produced by destructive distillation of coking coal in the absence/regulating presence of oxygen at high temperatures (ranging between 1100 to 1350 degree centigrade) causing the coal to soften, liquefy and then re-solidify into hard but porous lumps. Met Coke is a form of carbon along with some mineral and residual volatile material. Met Coke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces. Met Coke is used in various industries including pig iron, foundries, ferro alloys, chemical, integrated steel plants and others.
6. The subject goods fall under Customs Tariff Item 27040030. The subject goods may also be imported under other Customs Tariff Items 27040090, 27040010, 27040020, etc. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

7. Since the proposed investigation is a midterm review investigation, the scope of the product under consideration is the same as that of original investigation

D. Countries involved

8. The countries involved in the present investigation are Australia and China PR.

E. Initiation

9. Sub Rule (1) and (1A) of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, as amended as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March 2011, reads as follows:

(1) *Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.*

(2) *The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that injury to the domestic industry is not likely to recur, if the said antidumping duty is removed or varied and therefore no longer warranted.*

10. In terms of aforesaid rules, the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.
11. On the basis of information made available by the aforementioned Applicants before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

F. Procedure:

12. Having regard to the information provided by the Applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid-term review of the final findings notified vide Notification No. 14/9/2015-DGAD dated 20th October 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 53/2016- Customs (ADD), dated 25th November 2016 and the Authority hereby initiates an investigation in accordance with the provisions of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the Rules supra to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties. The review will cover all aspects of Notification No.14/9/2015-DGAD dated 20th October 2016.

G. Period of Investigation

13. The proposed period of investigation (POI) for the present investigation is from April 2017 to September 2018. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2014-March 2015, April 2015-March 2016, April 2016-March 2017 and the POI.

H. Submission of information

14. The known exporters in the subject countries and its Government through its Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street,
New Delhi-110001**

16. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

I. Time limit for registration of parties and filing of response

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

J. Submission of information on confidential basis

19. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
 - i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
20. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.
21. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority
23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
25. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of Public File

26. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

L. Non-cooperation

27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General